

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-24062021-227856
SG-DL-W-24062021-227856

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 06]	दिल्ली, जून 11—जून 17, 2021, बृहस्पतिवार / ज्येष्ठ 21—ज्येष्ठ 27, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 51
No. 06]	DELHI, JUNE 11—JUNE 17, 2021, THURSDAY / JYAISTHA 21—JYAISTHA 27, 1943	[N.C.T.D. No. 51

भाग II खण्ड 1 PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन
आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मई, 2021

विषय: ग्रीष्मकालीन अवकाश-2021 के दौरान अत्यावश्यक मामलों के आवेदन (मेन्शनिंग) और सुनवाई का प्रबंध

सं. 196/स्था./ई-1/डी.एच.सी. दिनांक: 28.05.2021.— एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित माननीय न्यायाधीशगण को आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2021 के दौरान अत्यावश्यक मामले, यदि कोई हों, की सुनवाई हेतु सहर्ष नामनिर्दिष्ट करते हैं:-

क्रम सं .	माननीय न्यायाधीशगण के नाम	अवधि	
		से	तक
1.	माननीय न्यायाधीश सुश्री रेखा पल्ली माननीय न्यायाधीश श्री अमित बंसल	05.06.2021	11.06.2021
2.	माननीय न्यायाधीश श्री नवीन चावला माननीय न्यायाधीश सुश्री आशा मेनन	12.06.2021	18.06.2021
3.	माननीय न्यायाधीश श्री अनूप जयराम भम्भानी माननीय न्यायाधीश श्री जसमीत सिंह	19.06.2021	25.06.2021
4.	माननीय न्यायाधीश श्री सी. हरि शंकर माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद	26.06.2021	02.07.2021

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पालन करने हेतु निम्न आदेश भी सहर्ष पारित करते हैं:-
 - (i) माननीय न्यायाधीशगण अति आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी-मामलों तथा ऐसे अन्य मामले जो कि उपरोक्त तिथियों की तालिका के अनुसार उनके सम्मुख रखे जायेंगे, की सुनवाई हेतु खंडपीठ में एवं अकेले भी बैठेंगे।
 - (ii) सामान्यतः माननीय न्यायाधीशगण सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा ऐसे दूसरे अन्य दिवसों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझें, प्रातः 10.30 बजे से आभासी न्यायालय में बैठेंगे। यदि किसी दिन निर्धारित मामलों की सुनवाई उसी दिन समाप्त नहीं हो पाती है तो बैठक अगले दिन भी जारी रहेगी।
 - (iii) यदि दोनों में से कोई माननीय न्यायाधीश किन्हीं अनापेक्षित कारणों से किसी दिन उपलब्ध नहीं हैं, तो दूसरे माननीय न्यायाधीश इस शर्त के अध्यक्षीन अकेले ही बैठेंगे कि वह खंडपीठ के मामलों को खारिज नहीं करेंगे।
3. ऑनलाइन प्रणाली द्वारा अत्यावश्यक मामलों के आवेदन (मेन्शनिंग) की मौजूदा प्रक्रिया निम्न नामित अधिकारियों के समक्ष उनके सामने दी गई तिथियों पर जारी रहेगी:
 - I. श्री मनोज कुमार वर्मा, निबंधक (मो. सं. 9717394830) 05.06.2021 से 11.06.2021
 - II. श्री पी.के. उप्पल, निबंधक (मो. सं. 9717394810) 12.06.2021 से 18.06.2021
 - III. श्री सुनील कुमार कौशल, निबंधक (मो. सं. 9717394805) 19.06.2021 से 25.06.2021
 - IV. श्री जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (मो. सं. 9717394839) 26.06.2021 से 02.07.2021
4. न्यायालय में आकर किए गए अत्यावश्यक मामलों हेतु आवेदन (मेन्शनिंग) पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अत्यंत आवश्यक मामलों का आवेदन (मेन्शनिंग) केवल क्लिक करने योग्य लिंक <https://tinyurl.com/y7se5gl2> या https://164.100.68.118:8080/DHC_FILING/ के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त लिंक आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश में रविवार और छुट्टी को छोड़ कर सभी कार्यदिवसों पर 09:00 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न तक उपलब्ध रहेगा। उक्त लिंक में दिए गए सभी अनिवार्य रिक्त स्थानों को भरा जाना चाहिए, जिसे ना करने पर उक्त अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6. एक पृष्ठ वाली पीडीएफ फाइल (जो कि 5 एमबी से अधिक ना हो) अपलोड कर अत्यावश्यकता को स्पष्ट रूप से समझाया जाए। अपर्याप्त विवरण की दशा में अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

7. एक बार उपरोक्त लिंक पर आवेदन सफलतापूर्वक अपलोड हो जाता है तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा जारी एक एसएमएस भेजा जाएगा जो अधिवक्ता को अत्यावश्यक लिस्टिंग के लिए प्रार्थना के सफल पंजीकरण के बारे में सूचित करेगा। हालांकि, इसे अत्यावश्यक लिस्टिंग के अनुरोध की स्वीकृति नहीं समझा जाएगा।
8. एक बार आवेदन (मेन्शनिंग) की अनुमति मिलने के बाद, अधिवक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना का एक एसएमएस भेजा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई तारीख के लिए मामला सूचीबद्ध हो, सभी आवश्यक दस्तावेज पुष्टिकरण एसएमएस प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर ऑनलाइन दाखिल कर दिए जाएँ। यदि मामला सभी त्रुटियों से मुक्त है तो इसे सुनवाई के लिए दी गई तिथि और समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
9. वरिष्ठतम संयुक्त निबंधक (न्यायिक)/ संयुक्त निबंधक, जो ड्यूटी पर हों, मामलों को चिह्नित करने के साथ-साथ वाद सूची तैयार करने और उससे संबंधित सभी मामलों की निगरानी करेंगे। वह कमरा नंबर 101, पहली मंजिल, 'ए' ब्लॉक, टेलीफोन सं. 23388470, में बैठेंगे।

आदेशानुसार

मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th May, 2021

SUBJECT: ARRANGEMENT OF MENTIONING AND HEARING OF URGENT MATTERS DURING SUMMER VACATION - 2021

No. 196/Estt/EI/DHC Date: 28.05.2021.—It is hereby notified that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate the following Hon'ble Judges for hearing urgent matters, if any, during ensuing Summer Vacation 2021:-

Sl. No.	NAME OF THE HON'BLE JUDGES	PERIOD	
		FROM	TO
1.	Hon'ble Ms. Justice Rekha Palli Hon'ble Mr. Justice Amit Bansal	05.06.2021	11.06.2021
2.	Hon'ble Mr. Justice Navin Chawla Hon'ble Ms. Justice Asha Menon	12.06.2021	18.06.2021
3.	Hon'ble Mr. Justice Anup Jairam Bhambhani Hon'ble Mr. Justice Jasmeet Singh	19.06.2021	25.06.2021
4.	Hon'ble Mr. Justice C.Hari Shankar Hon'ble Mr. Justice Subramonium Prasad	26.06.2021	02.07.2021

2. Hon'ble the Chief Justice is further pleased to pass the following orders for being followed during the course of summer vacation:-
 - i. The Hon'ble Judges will sit in Division Benches and also singly to hear urgent Civil and Criminal matters and such other matters as may be placed before them as per the schedule of dates given above.
 - ii. Ordinarily the Hon'ble Judges will sit in Virtual Court on Mondays, Wednesdays and Fridays and such other days as they may think fit at 10.30 A.M. The sitting may continue for the next succeeding day if matters fixed for any day are not finished on that day.
 - iii. If one of the Hon'ble Judges is not available on any day for any unforeseen reason, the other Hon'ble Judge may sit alone subject to the condition that the Hon'ble Judge shall not dismiss the Division Bench matters.
3. The existing practice of mentioning of urgent matters through online system shall continue before the designated Officers mentioned below on the dates mentioned against them:

- I. Mr. Manoj Kumar Verma, Registrar (Mob. No. 9717394830) from 05.6.2021 to 11.6.2021
 - II. Mr. P.K.Uppal, Registrar (Mob. No.9717394810) from 12.6.2021 to 18.6.2021
 - III. Mr. Sunil Kumar Koushal, Registrar (Mob. No.9717394805) from 19.6.2021 to 25.6.2021
 - IV. Mr. Janardan Tripathi, Registrar (Mob. No.9717394839) from 26.6.2021 to 02.7.2021
4. No physical mentioning of urgent matters shall be entertained.
 5. Mentioning of the extremely urgent matters would be made only through clickable link <https://tinyurl.com/y7se5ql2> OR http://164.100.68.118:8080/DHC_FILING/. The aforesaid link would be available from 09.00 A.M. to 10.30 A.M. on all the working days during the ensuing summer vacation, except Sundays and Holidays. All the mandatory fields mentioned in said link must be filled up, failing which the said request will not be processed.
 6. Urgency be explained clearly by uploading a pdf file comprising of one page (not more than 5 MB in size). The request shall not be processed in case of insufficient particulars.
 7. Once an application is successfully uploaded on the abovementioned link, a system generated SMS confirmation will be sent on the registered mobile number intimating the advocate of successful registration of the prayer for urgent listing. This however, shall not be construed as request for urgent listing having been allowed.
 8. Once the mentioning is allowed, an SMS shall be sent to the advocate on the registered mobile number intimating the same. All requisite documents be transmitted be filed online within two hours of receiving of confirmatory SMS to ensure that the matter gets listed for the given date. If the matter is clear from all 'defects', it will be listed on the given date and time for hearing.
 9. The senior most Joint Registrar(Judicial)/Joint Registrar on duty will monitor the work of marking of cases as well as preparation of cause list and all the matters related thereto. He/She will sit in Room No.101, 1st Floor, 'A' Block, Tel. No.23388470.

By Order,
MANOJ JAIN, Registrar General